

## असाधारगा EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (i) PART II--Section 3--Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

**ਜੰ∘ 148**} No. 148} नई बिल्ली, मंगलवार, ब्रप्नेल 19, 1983/चैत्र 29, 1905

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 19, 1983/CHAITRA 29, 1905

## इस भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विस्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) विदेश-कर प्रभाग अधिसुखना

नई दिल्ली, 19 मप्रैल, 1983

#### आय-कर

स्ताठ काठ तिठ 342(अ).— प्राय और पूंछी पर करों से सम्बन्धित दौहरे कराधान का परिवर्जन श्रीर राजियलीय श्रपवंचन के निवारण के लिए भारत गणराज्य की सरकार और गयर्नमेंट श्राफ दी डेमोकेटिक सोशिलिस्ट रिपब्लिक ग्राफ श्रीलंका के बीच हुई, इससे उपाबद कन्वेंशन का ग्रनुसमर्थन कर विया गया है भीर उक्त कन्वेंशन के श्रनुक्छेद 29 द्वारा यथा श्रेपेक्षित ग्रनुसमर्थन लिखतों का ग्रावान-प्रदान कर दिया गया है :

भ्रतः; केन्द्रीय सरकार, श्राय-कर ग्रिधिनियम 1961 (1961 की 43)की धारा 90 भ्रोर कंपनी (लाभ) श्रितिकर ग्रिधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 24क द्वारा प्रदत्त णिक्त्यों का प्रयोग करने कुंप, यह निदेल देती है कि उक्त कन्वेंभन के सभी उपवन्धों को शारत के संख में प्रभारी किया जाएगा।

भारतीय गणराज्य की सरकार श्री संका - गोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की सरकार के धीच

आध तथा पूंजी यर करों के संबंध में बौहरे कराधान के परिहार और राजस्थ के अपबंचन को रोकने के लिए अभिशमय आय तथा पूंजी पर करों के सम्बन्ध में बौहरे कराधान के परिहार और राजस्व के अपर्यचन को रोकने के लिए मारत गणराज्य की सरकार तथा श्री लंका लोकतांत्रिक समाजवावी गणराज्य की सरकार के बीच अभि-रुमय

egistered no. d. (d.n.)-72

भारत गणराज्य की सरकार, तथा श्रीलंका लोकतांक्रिक समाजवादी गणराज्य को सरकार, आय तथा पूंजी पर करों के सम्बन्ध में बौहरे काराधान के परिहार और राजस्व के अपर्यंचन को रोकने के लिए अभिसमय सम्पन्न करने की इच्छा से, नीखें लिखे अनुसार सहमत हुई हैं:—

## अमुच्छेद ।

## वैयक्तिक क्षेत्र

यह भ्रमिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो किसी एक भ्रम्यका दोनों संविद्यकारी राज्यों के निवासी है।

## अनुक्छेद 2

## अभिसमय के अन्तर्गत आने वाले कर

 यह अभिसमय प्रत्येक संविदाकारी राज्य की झीर से झाय सथा पूंजी पर लगाये गये करों के सामले में लागू, होगा फिर जाहे बे कर किसी भी तरह से लगाये जाते हों।

2. कुल इत्याय, कुल पूंजी, अथवा आय प्रथना पूंजी के तत्वो पर लगाये गये सभी करीं जिसमें चल अथवा अचल सम्पति के अंतरण हुए प्रभिलाभों पर कर सम्मिलित है, तथा पूंजी के मूल्यों में हुई वृद्धि पर लगे करों को अस्य असेर-पूजी पर कर समझा जायेगा।

- 3. यह अभिसमय जिन वर्तमान करों पर लागू होगा वे हैं:----
- (क) श्रीलकामं.
  - (i) आयकर, जिसमे ग्रेटर कोलम्बां इकोनोमिक कर्माणन से लाइसेंस प्राप्त उद्यामों के कुल व्यापार पर धाधारित भ्रायकर सम्मिलित है; भ्रौर
  - (ii) धन कर

(जिसे इसके बाद "श्रीलंका कर" कहा गया है)

- (ख) भारत में :
  - (i) भाषकर जिसमें उस पर लगाया गया कोई छिछ-भार गासिल हैं;
  - (ii) अतिकर, ग्रीट
  - (iii) धन कर

(जिसे इसके बाद भारतीय कर कहा गया है)

(4) यह प्रभिममय, किन्ही समरुप प्रथम सारतः वैसे ही करो पर भी लागू होगा जो दोनो में से किसी भी संधिदाक, री राज्य हारा, वर्तमान करों के प्रतिरिक्त प्रथया उनके स्थान पर, वर्तमान प्रभिममय पर हस्ताक्षर करने की नारीख के बाव लगाये गये हों। सविवाकारी राज्यों के लक्षम प्राधिकारी अपने-अपने कराधान कानूनो में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों से एक दूसरे की प्रधिस्चित करेगे।

## अनुच्छेव 3

## सामान्य परिभाषाएं

- ा इस ग्रम्भिममय में, जब नक संदर्भ में ग्रन्थणा ग्रपेक्षित नही हो ;
- (क) 'संविद्याकारी राज्य' ग्रौर 'दूसरे सिवदाकारी राज्य' शब्दों में संवर्भ की अपेक्षा के श्रनुसार श्रीलंका ग्रथथा भारत अभिप्रेत है;
- (खा) 'ब्यक्ति' शब्द में कोई ब्यप्टि, अरम्पनी नेवा व्यप्टियों का कोई भ्रन्य निकाय शामिल हैं;
- (ग) 'कम्पनी' गब्द से कोई ऐसा निगमित निकाय ग्रथवा कोई इकाई ग्रभिप्रेत है जो कर प्रयोजनों के लिए निगमित निकाय के रूप में मानी जाती हैं;
- (घ) 'एक संविद्याकारी राज्य का उद्यम' तथा 'दूसरे संविद्याकारी राज्य का उद्यम' णग्यों ने कमणः संविद्याकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित उद्यम श्रौर दूसरे संविद्याकारी राज्य के निवासी द्वारा संचालित उद्यम श्रीभन्नेत हैं;
- (ड) 'अन्तर्राष्ट्रीय यातायात' शब्दों से किसी ऐसे जलयान अथवा वेष्युवान द्वारा परिवहन अभिन्नेत है जो ऐसे किसी उद्यम द्वारा संचालित हो जिसकी प्रभावी प्रबंध व्यवस्थाका स्थान किसी सिवदाकारी राज्य में हो, सिवाय दसके कि जब जलयान अथवा वायुयान अन्य सिवदाकारी राज्य के स्थानो के बीच चलाया जाना हो,
- (च) <sup>'ग हिं</sup>ट्रक' मध्द से स्रभिन्नेत हैं ----
  - (i) संविदाकारी राज्य की राष्ट्रिकता धारण करने वाजा व्यक्ति;

- (ii) विधिक व्यक्ति भागीदारी अथवा संस्था जो संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से इस प्रकार अपनी हैिसयत प्राप्त करना है
- (छ) ''सक्षम प्राधिकारी'' शक्दों से भ्रक्तिप्रेत हैं:
  - (i) श्री लंका केमामले में, कमिक्तर जनरल ग्राफ इंगलैण्ड रेवेन्यु;
  - (ii) भारत के मामले में, केन्द्रीय सरकार का विन मंत्रालय (राजस्व विभाग)।
- 2. जहां तक किसी सिविदाकारी राज्य द्वारा इस धिक्षसमय को लागू करने के संबंध है, किसी भाष्ट्र का, जो वहा परिभाषित नहीं हुआ हो, संदर्भ की अन्यथा अपेका नहीं होने पर, वह धर्ष होगा जो उस राज्य के करो से सर्वधित कानूनों के अन्तर्गत होता है, जो इस धिक्षसमय के विषय है।

## अभुष्छेव 4

## आधिक अधिवास

- 1. इस प्रभिक्षसय के प्रयोजनों के लिए, संविद्याकारी राज्य का निवासी ग्रस्तों से अभिप्रेत हैं ऐसा कोई व्यक्ति जो उस राज्य के कानृन के अंतर्गत, उसके अधिकास, निवास, प्रबन्ध स्थान अथवा इस प्रकार की किसी अन्य कसौटी के कारण उसमें कर लगने योग्य है। किन्तु इस ग्रज्य में ऐसा कोई व्यक्ति स्नामिल नहीं है जिस पर उस राज्य के संबंध में ही अथवा वहां स्थित पृंजी के संबंध में कर लग सकता है।
- 2. जहां इस प्रनुच्छेब के पैराग्राफ (1) के उपबंधों के कारण कोई व्यक्टि दोनो संविद्याकारी राज्यो का निवासी हो, तो उसकी है।स-यत निम्नानुसार निश्चित की जाएगी:
  - (क) वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसको स्थायी गृह उपलब्ध हो। यदि उसको दोनों राज्यो में स्थायी निवास गृह उपलब्ध है तो वह उस राज्य का निवासी माना जायेगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत ग्रीर प्राधिक सबध धनिष्ठतर हैं (महत्वपूर्ण हिसों का केन्द्र)
  - (ख) यवि उस सिवदाकारी राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र है, निण्चय नहीं किया जा सकता हो, अध्यवा यि उसको विस्ती भी सिवदाकारी राज्य में स्थायी निवास गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जायेगा जिसमें उसका व्यवहारिक आवास हो;
  - (ग) यदि उसका व्यवहारिक श्रावास दोनों संविदाकारी राज्यों में है श्रयका उनमें से किसी भी राज में तही है तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जायेगा, जिसका यह राष्ट्रिक है;
  - (घ) यदि वह दोनों राज्यो का राष्ट्रिक है अथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नही है, तो संविदाकारी राज्यो के सक्तम प्राधिकारी परस्पर सहमति द्वारा इस प्रण्न का निर्णय करेंगे।
- 3. जहां इस अनुष्छेय के पैराग्राफ (1) के उपयम्धों के कारण से, व्यक्ति से मिन्न कोई व्यक्ति दोनो सबिदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएका जिसमें उसके प्रभावी प्रबंध का स्थान स्थित है।

## अनुष्छेद 5

#### ल्यायी स्थापना

- 1 इस भ्रम्भिमय के प्रयोजनों के लिए, 'स्थायी स्थापना' शब्दों से कारीबार का वह निश्चित स्थान ग्रिभियेत है जहां उद्यम का कारोबार सम्पूर्णनः भ्रभवा भ्राशन चलाया जाता है।
  - 2 'स्थायी स्थापना' शब्दों में विशेषतः निम्नलिखित गामिल होंगेः
  - (क) प्रबन्धका स्थान ;
  - (ख) शास्त्राः
  - (ग) कार्यालय;
  - (घ) कारखानाः
  - (इड) कर्मणाला :
  - (च) खान, तेल अथवा गैस कूप, स्थादान अथवा प्राकृतिक संसाधनो के निध्कर्मण का कोई अन्य स्थान;
  - (छ) कृषि प्रथवा कृषि सम्पदा अथवा बागानः;
  - (ज) भवन स्थल श्रथका निर्माण अथका सामूहिक परियोजना जा 183 दिन से ग्रधिक श्रवधि के लिए विश्वमान रहती हो;
  - (झ) किसी उद्यम द्वारा कर्मचारीयों प्रथमा श्रन्य कार्मिकों के के जरिये ऐसे स्थान पर ऐसी सेवाग्नों का प्रस्तुत किया जाता जिनमें पर्मांश संबंधी सेवाएं भी ग्रामिल है, जहां उस तरह के कार्य वेश के श्रन्दर 12 मास की किसी भा अविध के भीनर कुल 183 दिन से ग्रीधिक की भविध ग्रथमा ग्रमिश्रमों के लिए चालू रहनी है।
- इस इनुक्ठेंद के पूर्ववर्ती उपबंधी के हाते हुए भा, 'स्थायी स्थापन।' णडदों में निम्नलिखित की णामिल नही माना जायेगा।
  - (क) उद्यम के माल पण्यो के केवल भण्डारकरण, प्रदर्शन अथवा सुपूर्वणी के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का प्रयोग,
  - (ख) उद्यम के माल अथवा पण्यां के अण्डारकरण, प्रक्षशंन अध्यक्ष मुपूर्वणी के अनस्य प्रयोजनार्थ स्टाक रखना,
  - (ग) अन्य उद्यम द्वारा संसाधित करने के अनन्य प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्यों का स्टाक रखना;
  - (ष) उद्धम के लिए माल अथवा पण्यों का क्रय करने अथवा सूचना संग्रह के अनन्य प्रयोजनार्थ कारोबार का नियत स्थास रखना;
  - (इ) उद्यम के व्यापार अथका कारोबार में विज्ञापन, सूचना देने अथवा ऐसे वैकानिक अनुस्रधान कार्यों के अनन्य प्रयोजनार्थ जो प्रारम्भिक अथवा महायक किस्स के हों कारोबार का नियत स्थान रखना !
- 4. अन्य संविदाकारा राज्य के उद्यम की ओर से किसी सिविदाकारी राज्य में कार्य कर रहा कोई व्यक्ति जो स्वतंत्र हैसियत के अभिकर्ता से भिन्न हो और जिस पर इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (6) की व्यवस्थाए लागू होती हों—प्रथमोक्त राज्य में उस उद्यम की स्थाई स्थापना माना जायेगा यदि वह उस राज्य में उद्यम के नाम से संविदा करने का प्राधिकार रखता है और उसका नियमित रूप से प्रयोग करता है, जब तक कि उसके कियाकलाप उस उद्यम के लिए माल अथवा पण्यों के क्रय नक ही सीमिन नहीं हो।
- 5. इस अनुच्छिद के पूर्ववर्ती उपबन्धों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य का कोई बीमा उद्यम, पुनः बीमा से संबंधित उद्यम को छोड़कर, अन्य सविदाकारी राज्य में स्थायी स्थापना गामा जायेगा यदि वह उस अन्य राज्य की सीमा में बीमें की किस्त बसूल करना है अथवा स्वतंब हैंगियन के एजेंट से भिन्न किसी व्यक्ति के हारा

जिम पर इस अनुच्छेद का पैराग्राफ (ं6) लागू होना है, बहां स्थित जोखिमों का बीमा करता है।

- 6. एक संविधाकारी राज्य के उद्यम की अन्य संविधाकारी राज्य में माल इस कारण से स्थायी स्थापना नहीं मानी जाएगी कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, मामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्थतंत्र हैंसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करती है, अशर्त कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार के काम सामान्य रूप से कर रहे हों। किन्सु जब इस प्रकार के एजेंट के कियाकलाप उस उद्यम की ओर से पूर्ण रूप से अथवा लगभग पूर्ण कप से किये जाते हैं तो उसे इस पैराग्रस्क के अधिप्राय के अन्तर्गत स्वतंत्र हैंसियत का एजेंट नहीं माना जायेगा।
- 7. इस तथ्य से कि कोई कंपनी जो किसी संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कंपनी का नियंत्रण करती है अथवा उसके द्वारा नियन्नित होती है जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, अथवा उस दूसरे राज्य में (चाहे किसी स्थायी स्थापना के माध्यम से अथवा अन्यथा) व्यापार अथवा कारोबार चलाती है उन दोनो कंपनियों में से कोई भी कपनी स्वतः दूसरी कंपनी की स्थायी स्थापना नहीं बन जाएगी।

## अनुष्छेद 6

## अचल संपत्ति से आय

- अचल संपत्ति से आग पर उस संविदाकारी राज्य मे कर लगाया जा सकेगा जिसमें ऐसी सभ्पति स्थित है।
- 2. 'अचल संपत्ति' शब्दों की परिभाषा उस संविदाकारी राज्य की विधि के अंतर्गत की जायेंगी, जिसमें संबंधित सम्पत्ति स्थित है। इन शब्दों में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे—अचल संपत्ति के उप साधन के रूप में संपत्ति, कृषि और बन संपत्ति में अधुकत पशुधन तथा उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भृ-संपत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल संपत्ति को भोगने के अधिकार, खनिज भण्डार, स्त्रोत तथा अन्य प्राकृतिक साधनों का संचालन अथवा संचालन अधिकार के प्रतिकृत के प्रतिकृत के प्रतिकृत के अधिकार पोत नौकाए तथा विभाग अचल संपत्ति नहीं माने जायेंगे।
- 3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) के उपबंध, अचल सम्पिति के प्रत्यक्ष प्रयोग से, किराये पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से होने वाली आय पर लागू होगे।
- 4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) और (3) के उन्निषंध किसी उद्यम की अचल संपत्ति से आय और व्यावसायिक सेवाओं के निष्पादन के लिए इस्तेमाल में आने वाली अचल संपत्ति से होने वाली आय पर भी लागू होगे।

## अनुष्ठिब ७

## कारोबार से लाम

- 1. किसी संविधाकारी राज्य के उद्यम के लाभों परकेवल उस राज्य में ही कर लगाया जाएगा, जब तक वह उद्यम अन्य सिव्धाकारी राज्य में वहा स्थित किसी स्थायी स्थापना के माध्यम से कारोबार नहीं जलाता हो।यदि उद्यम पूर्वोक्त प्रकार से कारोबार कर रहा हो, तो उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा परन्तु केवल उसने ही लाभों पर कर लगाया जा सकेगा जो निम्मलिखित के कारण हुए माने जा सकते हैं:—
  - (क) उस स्थायी स्थापना,
  - (था) उस दूसरे राज्य में वैसे ही अथना उसी प्रकार के माल अथवा पण्यों की बिकी जैसे कि उस स्थायी स्थापना के साध्यम से बेचे जाते हैं, अथवा

 (ग) उस दूसरे राज्य में किये गये वैसे श्री अथवा उसी प्रकार के व्यावसायिक कार्य जैसे उस स्थायी स्थापना के माध्यम से किये जाते हैं।

उपर्युक्त उप-पैराम्राफ (ख) और (ग) के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे जब उद्यम यह सिद्ध कर देता है कि ऐसी बिकी अथवा कियाकलाप स्थायी स्थापना के कारण हुए नहीं माने जा सकते हैं।

- 2. इस अनुज्छेद के पैराधाफ (3) के उपबंधों के अध्याधीन, जहां किसी संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थापी स्थापना के माध्यम से कारोबार करता है, वहाँ प्रत्येक संविदाकारी राज्य में उस स्थापी स्थापना के कारण उसको उन लाभों का होना माना जायेगा जिनके प्राप्त होने की तब अपेक्षा रहती, जब वह, उन्हीं अथवा वैसी ही परिस्थितियों के अस्तर्गत उन्हीं अथवा वैसे ही कार्यों में लगा हुआ कोई निश्चित तथा अलग उद्यम होता, और जिस उद्यम की वह स्थायी स्थापना है, उसके साथ पूर्णतः स्वतंत्र कप से व्यवहार करता होता।
- 3. किसी स्थायी स्थापना के लाभों के निर्धारण में व्ययों की कटौतियों की स्त्रीकृति दी जायेगी, जो स्थायी स्थापमा के कारांबार के प्रयोजनों के लिए किए गए हों, और उनमें इस प्रकार किए गए कार्यपालीय तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय शामिल रहेगे, चाहे वे उस राज्य में किए गए हों जहां स्थायी स्थापना स्थित है अथवा अन्यत तथापि स्थायी स्थापना द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय की अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी की (बास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न रूप में) पेंटेन्ट अर्थवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदलें में स्वामित्व, फीस अथवा अन्य ऐसी ही अदायगियों के रूप में, अथवा विशिष्ट सेवा सम्पादन अथवा प्रबन्ध के लिए कमीशन के रूप में अचवा, बैंक उद्यम के मामले को छोड़कर, स्थायी स्पापना को उधार विधे गये धन पर स्थाज के रूप में यदि कोई रकमें अवाकी गयी हों, तो उनके संबंध में ऐसी किसी कटौतीकी स्वीकृति नहीं दी जायेगी। इसी प्रकार, स्थायी स्थापना के लाभों के निर्धारण में उन रकमों को हिसाब में नहीं लिया जायेगा जो स्थायी स्थापना द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी को (बास्तविक व्यय की प्रति पूर्ति से भिन्न रूप में), स्थायी स्थापना द्वारा पेटेंटों अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में स्वामित्व फीस अथवा अन्य ऐसी ही अवायगियों के रूप में, अथवा विणिष्ट सेवासम्पदा के लिए अथवा प्रबंध के लिए कमीशन के रूप में अथवाबँक उद्यम के मामले को छोड़कर, अस्य मामलों में, उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उसके किसी अग्य कार्यलयों में से किसी को उधार विये गये क्षन पर क्याज के रूप में उद्यम के प्रधान कार्यालय अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी को प्रभारित की गयी हो।
- 4. जहां किसी संविदाकारी राज्य में, उद्यम के कुल लाभों को उसके विभिन्न अंगों के प्रति अनुभाजन के आधार पर, किसी स्थायी स्थापना के कारण माने जाने वाले लाभों को निश्चित करने की प्रथा हो, बहां इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) की कोई भी ध्याख्या उस संविदाकारी राज्य को ऐसी यथा कि प्रभाजन पद्धति से, कर लगाने वाले लामों को निश्चित करने से निद्यारित नहीं करेगी तथापि, प्रभाजन पद्धति ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में बिहित सिद्यान्तों के अनुसार होगा।
- 5. कोई लाभ माक्ष इस कारण स्थायी स्थापना को हुए नहीं माने जाएंगे कि उस स्थायी स्थापना द्वारा उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-बस्सुएं खरीदी गई हैं।
- 6. पूर्ववर्ती पैराग्राफी के प्रयोजनों के लिए, स्थायी स्थापना के कारण माने जाने वाले लाघों को तब तक, उसी पद्धति से वर्षानुवर्ष निर्धारित किया जायगा जब तक कि उसके निरुद्ध कोई उपशुक्त तथा पर्धाप्त कारण नहीं हों।

7. जहां लाभों में आय की वे मदें शामिल हों, जिनका इस अभि-समय के अन्य अनु-छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहां उने अनु-छेदों के उपबंध इस अनु-छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे।

## अनुष्ठव ४

## जहाजरानी और विमाम परिवहन

- ग. किसी संविद्याकारी राज्य के उद्यम द्वारा अल्प्रेस्ट्रिय यानायात में पोस अथवा विमान संवालन से प्राप्त लाओं पर कर केवल उस संवि-कारी राज्य में ही लगाया जायेगा जिसमें उद्यम का प्रभावी प्रबंध का स्थान स्थित है!
- 2. पैराग्राफ (1) के उपबंधों के रहते हुए भी, अंतरिष्ट्रीय यातायात में पोत संत्रालन से प्राप्त लाभों पर उस संविद्यातारी राज्य में कर लगाया जा सकता है जिसमें इस प्रकार का संचालन किया जाता है; किन्तु इस प्रकार प्रभारित कर उस राज्य के अरुगरिक कानून ब्रारा अन्य प्रकार से लगाये गये कर से 50 प्रतिकृत से अधिक नहीं होगा:

परन्तु गर्त यह है कि कर की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, इस प्रकार के लाभों को एक ऐसी राणि माना अध्येगा जो उन वरो से अधिक नहीं होगी जिनकी इस प्रकार के लाभों की संगणाना के लिए अक्का अलग राज्यों के कराधान कानून में वर्तमान में व्यथस्था है।

- 3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) और (2) के उपबंध, अन्तर्रा-र्व्झाय यातायान में पोन अथवा विमान संचालन में लगे उद्यमों द्वारा किसी पूल सेवा, किसी मंतुका कारोबार अथवा किसी प्रकार की अन्तर्राब्द्रीय यातायात एजेंसी में भाग लेने में होने वाले लाभों के संबंध में भी इसी प्रकार लागू होंगे।
- 4. पैराग्राफ 1 के प्रयोजन के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय यानायात में पोतों अथवा विमान संभावन से गंबीधन निधियों पर ब्याज को इस प्रकार के विमान के संवालन से आय के रूप में समझा जाएगा, और अनुन्छेंद्र 11 के अनुबंध इस प्रकार के ब्याअ के संबंध में लागू नहीं होंगे।
- 5. यथि किसी जहाजरानी उद्यम के प्रभावी प्रबंध का स्थान किसी पोत पर हो, तो वह उस संबिव।कारों राज्य में स्थित भाता जायेगा किसमें पोत का मूल बन्दरगाह स्थित है, और अगर उस पोत का ऐसा कोई मूल बन्दरगाह ते तर उस राज्य में स्थित माना जायेगा जिस राज्य का पोत का संचालन निवासी है।

## अनुष्छेष 9

## सम्बद्ध जब्यम

- 1. जहाः
- (क) एक संविद्यकारी राज्य का उद्दयम हूसरे संविद्याकारी राज्य के उद्दयम के प्रवन्ध नियंत्रण अथवा पृंजी में, प्रत्यक्षणः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है, अथवा
- (स्त्र) ये ही क्यक्ति, प्रत्यक्षणः अध्वा अप्रत्यक्षतः किसी संविद्यागी राज्य के उद्यम में और दूसरे संविद्यकारी राज्य के उद्यम में प्रकल्ध, नियंत्रण अथवा पुंजी में भाग लेते हैं,

और दोनों में से फिसी भी अवस्था में, दोनों उद्यमों के बीच उनके बाणिजियक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी धने रखी अथवा लगाई आती हैं, जो वैसी धनों से भिन्न हैं, जैसी स्वताव उद्यमों के बीच रखी आती हैं, वहां ऐसे कोई लाभ जो, इन धनों के नहीं होने की हालत में, उन उदयमों में में एक को प्राप्त दूए होने, किन्तु इन धनों के कारण प्राप्त नहीं हुए हो से लाभ उस उद्यम के लाभों में मस्मितित िये जा सकेंगे और बे नदनुसार कराधेय हो सकेंगे।

2. जहां एक संविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उदयम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करना है-और मदनुमार कर लगाना है, जिन पर इसरे सिवदाकारी राज्य का एक उदयम उस दूसरे राज्य में कर लगाना है और इस प्रकार समिलित कियें गये लाम से लाभ है जो प्रथमोनन राज्य के उदयम गा प्राप्त हुए होंने यदि दो उदयमों के बीन लगाई गई गते वे हानी जो स्थतंत्र उदयमों के बीन लगाई जाती है, सब यह अन्य राज्य उस लाभों पर पहां प्रभावित कर की राशा का समृत्तित समायोगन कर विनिश्चय करने में, इस अभिममय के अन्य उत्तादां का भा शास्त्र का शासिकारों उपि अविकास हो ता सीकारों का भी आवश्यक ध्यान रखना होगा और यदि अविकास हो ता सीकारों राज्यों के सक्षम प्राधिकारों, एक दूसरे से प्रमाम करेगे।

## अनुक्छेब 10

### लाभांश

- जा कपनी एक सिक्ताकारी राज्य की नियासी है, उसके द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा किये गये लाभाण उस दूसरे राज्य में कराधेय होगे।
- 2. प्रधापि, इस प्रकार के लाभाग छम सविद्यालारी राज्य में भी कराधेय होंगे जिसकी लाभांण अदा करने वाली कंपनी निवासी है और यह कर उस राज्य के कानून के अनुसार लगाया जाएगा, किन्तु इस प्रकार लगाया जाने वाला कर वाशाणों की सकल रक्षण के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- 3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त लाभागों ग्राब्द का अभिप्राय, ग्रेयरो, खानगोयरो, संस्थापक ग्रेयरो अथवा ऐसे अस्य अधिकारो से, जो ऋण वावे नहीं हो और लाभो में सहभागी हो प्राप्त आय से सवा अन्य निगमित अधिकारो से प्राप्त आय से है जिसपर उस सिवदाकारी राज्य के कराधान कानून ब्राया ग्रेयरो से प्राप्त आय पर लगाये आने वाले की तरह से ही कार लगाया जाना है, जिसकी विभाग नरने वाली कपनी निवासी है।
- 4. पैराग्राफ (1) तथा (2) के उपबंध उस स्थित में लागू नहीं होगे यदि लाभांगों का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी शाज्य का निवासी है. दूसरे सविदाकारी राज्य में व्यापार करना है जिसका, लाभाग्र अहा करने वाली धपनी, वह स्थित एक स्थागी स्थापना के गाध्यम से, निवासी है और जिस धारिता के बारे में लाभागों की अदायगी की आती है, वह इस प्रकार के स्थाया स्थापना से प्रभावी रूप से सम्बन्ध है। ऐसे मामले में अनुन्छेद 7 के उपबंध लागू होंगे।
- 5. जहां कोई कपनी, जो एक संविद्याकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविद्याकारी राज्य से लाभ अपवा आय प्राप्त करनी है, वहां कंपनी द्वारा किये गये लाभाशों पर, जहां तक कि ऐसे लाभांशो को छोड़कर जो दूसरे राज्य के निवासी को अदा किये गये हों अथवा जहां तक कि जिससे धारिमा के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है वह उस राज्य में स्थित इस प्रकार के स्थाधा स्थापन से प्रभावी कर्ण से सम्बद्ध है, उस दूसरे राज्य में न तो कोई कर लगाया जायगर और न ही कंपनी के अवितरित ताओं पर अवितरित लाभकर की किसम का कोई कर लगाया जाएगा, यह अवा किये गये वाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्णन अथवा अवत उस दूसरे राज्य में उत्पन्न होने थाने लाभ अथवा अवत उस दूसरे राज्य में उत्पन्न होने थाने लाभ अथवा अवत उस दूसरे राज्य में उत्पन्न होने थाने लाभ अथवा अयवा अया आय

## अगुच्छेद 11

#### ब्याज

- एक संविद्यासारी राज्य में अजिल होने वाले तथा बूसरे राज्य के निवासी को अदा कि जिले वाले ब्याज पर प्य बूसरे राज्य में कर लगेगा।
- तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुभार कर लगाया जाएगा जिस राज्य में

यह जवभूत होता है किन्सु योव प्राप्तकर्ता ब्याज का हित्रभागी स्वामी हो तो इस प्रकार प्रभारित कर की राशि ब्याज की सकल रकम से 10 प्रति-शत से अधिक नहीं होंगी।

- 3. पैराग्राफ 2 के उपवधों के बाधजूद एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले ब्याज पर उम राज्य में कर से छूट दी जाएगी यवि:
  - (क) ब्याज अदा करने वाला उस संयिदाकारी राज्य की सरकार हो अथवा उसका कोई स्थानीय प्राधिकरण हो, अथवा
  - (ख) ब्याज दूसरे सिवाकारी राज्य की सरकार अथवा उसके स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस दूसरे सिवदाकारी राज्य अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण की पूर्णत. स्वामिस्य वाली किसी एजेंसी अथवा किसी माध्यम (जिसमें विस्तीय संस्थान णामिस है) की अदा किया गया हो।
- . इस अनुन्छैंद में यथा प्रयुक्त "क्याज" शब्द से सरकारी प्रितिभूतियों, बंध-पत्नों अथवा अरूण-पत्नो, चाहे उनको लाभो में भागीदारी का
  अधिकारी प्राप्त हो अथवा नहीं, और हर प्रकार के ऋण वानों से प्राप्त आग और साथ ही सभी अन्य ऐसी आय से अभिप्राय है, जो जिस संवि-दाकारी राज्य में आय उद्भूत हुई हो, उस राज्य के कराधान कामून के अनुसार छन्नार दियें गये धन से प्राप्त अय में समानिष्ट की गई हो।
- 5. पैराग्राफ (1) में (3) के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होगे यदि क्याज का हिनभागी स्वामी संविदाकारी राज्य का निवासी होने से दूसरे सविदाकारी राज्य में जिसमें ब्याज उत्पन्न हुआ हा, उसमें स्थिति किसी स्थामी प्रनिष्टान के माध्यम से ब्यापार चलाला हो और जिस दावे वे बारे में ब्याज अदा किया गया हो वो हम प्रकार के स्थापी प्रनिष्टान से प्रभावी रूप से संबंधित हो। इस प्रकार के मामले में अनुक्छेद 7 के उपबंध लागू होंगे।
- 6 किसी पंविदाकोरी राज्य में ब्याज उद्दभूत हुआ माना जाएगा,
  यदि ब्याज अदा बारने वाला स्था संविदाकोरी राज्य कोई स्थानीय प्राधिकारी अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। किन्तु, जहा ब्याज अदा
  करने याले व्यक्ति का, नाई यह सविदाबारी राज्य का निवासी हो अथवा
  नहीं, सथिदाकारी राज्य में उसका एक स्थापी प्रतिष्ठान हैं, जिसके संबंध
  में बढ़ ऋण लिया गया था जिल पर ब्याज की अदायगी की गई है, और
  इस प्रकार का ब्याज उस स्थायी प्रतिष्टान द्वारा बहुन किया जाता है तब
  वह ब्याज उस सविदाकारी राज्य में उद्भूत माना प्राएगा जिसमें बह
  स्थागी प्रतिष्टान स्थित हैं।
- 7. जहां ब्याज अदा करने बाले हिस्सामी स्वामी के बीच अध्या उन दोनों के और किसी अन्य व्यक्ति के बीच, यिशेष प्रकार का संबंध होने के कारण, अया की गई ब्याच की रकम, उस ऋण दाये को ध्यान में रखते हुए जिएके लिए ब्याज की रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जावी है, जिसके लिये दूस प्रकार के संबंध नहीं हाने की स्थिति में अदा करने बाल और हिन्यामी स्वामी के बीच सहमित हो गयी प्रकीत होती हा, यहां इस अनुच्छेद के उपबंध केयल अन्तिम वित्त रकम पर लागू होगे ऐसे मामले में, अदायनी के अतिरिक्त भाग पर, इस अभिममम के अन्य उपबंधों का अनुपासन करने हुए, प्रत्येक सथिदायारी राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया नगएन।

## अनुष्छेव 12

#### रायस्टी

- एक संविदाकारी राज्य में उक्भृत होने वाली और दूसरे संविदा-बारी राज्य के निवाली का अदा की गई रायिक्टमों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा संवेषता.
- तथापि, ऐसा रायांल्टजों पर उस सविदाकारी राज्य में भी, जिसमें के उदभूत होती हैं, और उसी राज्य के कामून के अनुसार कर लगाया

जा सकेना किन्तु यदि प्राप्तकर्ता रायल्टी का हितभागी स्वामी हो तो इस प्रकार लगाया गया कर ऐसी रायिल्टियों की सकल रक्षम के 10 प्रति-शत से अधिक नहीं होगा।

- 3. इस अनुष्ठिय में यथाप्रयुक्त "रायिक्टिया शक्य" से साहित्यिक, कलारमक अथवा वैज्ञानिक कृतियों जिनमें चलिन्न फिल्में अथवा दूर वर्णन अथवा प्रमारण के लिए फिल्में अथवा टेप शामिल हैं, कोई पेटेन्ट, ट्रेड मार्क, डिजाईन अथवा माडल प्लान, गुष्त फार्म्ला अथवा प्रक्रिया के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के प्रतिफल के रूप में अथवा औद्योगिक वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक जप्फर के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए अथवा बैज्ञानिक वाणिज्यिक अथवा बैज्ञानिक वाणिज्यिक अथवा बैज्ञानिक वाणिज्यिक अथवा बैज्ञानिक वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानपारी के लिए प्राप्त किसी प्रकार की अदायगी अभिन्नेत हैं।
- 4. इस अनुच्छेव के पैराग्राफ (1) तथा (2) के उपबंध उस हालते में लागू नहीं होंने यवि रायल्टी का हितमानी स्वामी जो एक संविदालारी राज्य का निवासी है और संविदालारी राज्य में जिसमें रायिल्टियो उवभूत होती है वहां पर स्थित स्थानी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यापार चलाता है तथा जिस अधिकार अथवा संपक्ति के बारे में रायिल्टियों की अदायगी की जाती है, ऐसे स्थानी प्रतिष्ठान से कारण रूप से संबंधित हैं, ऐसे सामने में जनुष्ठेष 7 के उपबंध लागू होंगे।
- 5. किसी संविदाकारी राज्य में रायल्टियां उद्दश्त हुई मानी आएगी, यदि रायल्टी अदा करने वाला राज्य स्वयं कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवां उम राज्य का कोई निवासी हो। परन्तु जहां रायित्यां अदा करने वाल अयिक्त का चाहे वह संविदावारी राज्य का निवामी हो अथवा नहीं, एक संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी प्रतिष्ठान है जिसके संबंध में रायर्टा अदा की गई थी और इस प्रकार की रायित्यां उस स्थायी प्रतिष्ठान द्वारा उदस्त हुई हैं तब ऐसी रायित्यां उस संविदाकारी राज्य में उदस्त मानी जाएगी, जिसमें स्थायी प्रतिष्ठान स्थित है।
- त. जहां, रायल्टी अदा करने वाले और हिसभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों के और किसी अस्य व्यक्ति के बीच, विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण, अदा की गयी रायिस्टियों की रकम, उमके ऐसे इस्तेमाल, अधिकार अथवा सूचना को ज्यान में रखते हुए जिसके लिये हे रायिस्टियों अदा की जाती है उस रकम से बढ़ जाती है जिसके लिये इस प्रकार के संबंध न होने की स्थिति में अदा करने वाले और हित भागी स्वामी के बीच सहमति हो गयी होती घहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अस्तिम विणात रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायिगयों के अधिभाग पर, इस करार के अन्य उपबंधों का अनुगालन करने हुए प्रत्यैक संविद्याकारी राज्य के कामून के अनुसार कर लगाया जाएगा।

## अनुब्छेव 13 पूंजीयत लाभ

- किसा सथिवाकारी राज्य के किसी निजासी द्वारा अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ (2) में अस्लिखित और दूसरे संविद्याकारी राज्य में स्थित अचल संपत्ति के अन्तरण से प्राप्त होने वाले अभिलाभ पर कर दूसरे राज्य में लगाया जा सकेगा।
- 2. जल संपत्ति के अन्तरण से, जो उस स्थायी प्रतिष्ठान की व्यापारिक सपित्ति के अग के रूप में एक सिवियकारी राज्य में स्थित है जिसमें ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान (अकेले अथवा संपूर्ण उत्यम के साथ) के अन्तरण से होने बांल लाभ भी णामिल हैं जिन पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।
- 3. अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में जलाये जाने वाले जलपोतो अथवा वायु-यानी अथवा इस प्रकार के जलपोतो अथवा वायुवानी के संचालन से संबंधित चल राम्पत्ति के अन्नरण से प्राप्त लाभ केवल उस संविदाकारी राज्य में कराधेग होगे किंगमें उद्यम के कारगर प्रबंध का स्वान रिवत हो ।

- 4. किसी कंपनी के स्टाकों तथा शेयरों के अन्तरण से प्राप्त लाम प्रप्र कर उस संविदाकारी राज्य में लगाया जा सकेथा जिसमें वे जारी किये गये हों।
- 5. इस अनु ज्छेर के पैराग्राफ (1) से (4) मे जिल्लाखिन सम्प्रीस से भिन्न किसी संपत्ति पर कर केवल उस संविदाकारी राज्य में लगाया आएगा जिसका अस्तरणकर्ता निवासी है।
- 6. 'अस्तरण' शब्द का अर्थ संपत्ति का विकय, विनिमय, अन्तरण अथवा त्याग अथवा उसमें किसी भी अधिकार की समाध्ति अथवा अलग-अलग संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त किसी भी कानून के अस्तर्गत उमका अनिवार्य अधिग्रहण है।

## अनुक्छेव 14

## स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं

- 1. एक संविद्याकारी राज्य के किसी निवासी को व्यावसायिक सेवाओं अथवा इसी प्रकार के अन्य स्वतन्त्र कार्य कलापों के संबंध में प्राप्त हुई आय पर कर केवल उसी राज्य में लगेगा जब तक कि वह दूसरे सिवाकारी राज्य में 12 माह की किसी ऐसी अवधि के भीतर कुल मिलाबार 120 दिनों से अधिक की अवधि अथवा अथिघेयों के लिए मौजूद नहीं रहा हो जिसमें ऐसी आय पर कर दूमरे सिववाकारी राज्य में भी लग सकता हो।
- 2. 'क्यावसायिक सेवाए' णब्दों में स्थनस्य वैज्ञानिक, साहित्यिक, कल्यात्मक, ग्रैद्याणक अथवा प्रशिक्षण संबंधी कार्यकलाप तथा विकित्सकों, वर्योनों, इंजीनियरों, वास्तुकारों, दश्य-चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतस्त्र कार्यकलाप भी शामिल हैं।

## अनुक्छेव 15

## पराधित वैयक्तिक सेवाएं

अनु च्छेद 16, 18 और 19 के उपबन्धों के अधीन एक संविदाकारी राज्य को, नियोजन के सम्बन्ध में प्राप्त बेलन, मंजूरी तथा अन्य इस प्रकार के पारिश्रमिक पर कर केवल उसी राज्य में लग सबेगा जब तक कि उसका नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में त हो। यदि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में हो ता उससे प्राप्त पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

- 2. पैरायाफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की, दूसरे संविदाकारी राज्य में प्रयुक्त नियोजन के संबंध में, प्राप्त पारिश्रमिक पर कर, केवल प्रथमीहिलाखन राज्य में ही लगेगा यदि:
  - (क) प्राप्तकार्ता 12 माह की किसी अवधि में कुल मिलाकर 183 दिल की अवधि अथवा अवधियों के लिए दूसरे राज्य में मौजूद रहा है, और
  - (बा) पारिश्रमिक की अदायगी ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी स्रोर से की गई हो जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है, और
  - (ग) पारिश्रमिक किमी ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान अथवा निश्चित स्थात द्वारा बहुन ने किया गया हो, जो कि उस नियोजक का त्रूसरे राज्य में है।
- 3. इस अनुक्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, अस्तरोष्ट्रीय यानायान में जलपीन पर अथवा वाय्यान पर किये गये नियोजन के संबंध में पारिश्रमिक पर सपर उस संविदाकारी राज्य में लग सकेगा जिसमें उस उद्यम की प्रभावी प्रबंध व्यवस्था है।

.ut -

## अमुच्छेव 16

## निवेशक-शुरुक

मंतिवाकारी राज्य के निवासी द्वारा किसी ऐसी कंपनी के निदेणक मंडल के एक सदस्य की हैसियन से जो दूसरे संविवाकारी राज्य का निवासी है, प्राप्त निदेशक फीस तथा इसी प्रकार की अवायगियों पर उस दूसरे संविवाकारी राज्य में कर लग सकेगा।

## अनुक्छेव 17

#### कलाकार और खिलाड़ी

 अनुच्छेव 14 नथा 15 के उपबंधों के होने कुए भी, लोक मनो-रंभनकत्तीओं (जैसे थियेटर, चल-चित्र रेडियो अथवा दूरदर्शन कलाकार तथा संगीतकार) अथवा खिलाड़ियों को अपनी हैिमयत से अपने वैयक्तिक कार्यों मे प्राप्त आय पर उस संविवाकारी राज्य में कर लग सकेगा जिसमे ऐसे कार्य किये गर्ये हों;

किन्तु ऐसी आय पर उक्त संविदाकारी राज्य में कर नहीं क्या सकेगा, यदि लोक मनोरंजनकलाओं अथवा खिलाष्ट्रियों को उस राज्य की यादा का व्यय प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः, दूसरे संविदाकार्य राज्य की सरकार की सार्वजनिक निधियों से पूर्णतः अथवा पर्याप्त, किया गया हो।

- 2. जहां मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा उसकी वैयक्तिक किया-कलापों के संबंध में प्राप्त आय मनोरजनकर्ता अथवा खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो अपितु अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहां अनुष्ठिंद 7, 14 नथा 15 के उपबन्धों के होते हुए भी, उस आय पर कर उस संविदाकारी राज्य में लग सकेगा जिस राज्य में मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा ऐसे किया-कलाप किये जाते हैं।
- 3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए 'सरकार' गब्द में दोनों संविदा-कारी राज्यों में से किसी भी संविदाकारी राज्य की राज्य-सरकार, राज-नीतिक उपमंडल अथवा स्थामीय प्राधिवःरण समिमलिस माने नायेंगे।

## अनुच्छेद 18

## सरकारी सेवा

- 1. (क) किसी संविव।कारी राज्य की सरकार द्वारा किसी व्यच्टि को उस राज्य अथवा जुमके किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिये की गई भेवाओं के संबंध में अदा किया गया पेन्यान से भिन्न पारिश्वमिक केवल उस राज्य में ही कराग्रेय होगा।
- (स्त्र) तथापि, ऐसे पारिश्रमिक पर कर केवल दूसरे राज्य में ही सगेगा यदि उस दूसरे राज्य में सेवाएं की जाती हैं और व्यक्टि उस राज्य का निवासी हो जो :
  - (i) उस राज्य की राष्ट्रिक हो, अथवा
  - (ii) मान्न सेवाएं करने के प्रयोजन के लिए उस राज्य का निवासी नहीं बनाहों।
- 2. किसी भी संविधाकारी राज्य की सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति को अदा की गई किसी भी प्रकार की पेन्णन पर कर उस संविदाकारी राज्य में लगाया जा सकता।
- 3. अनु-छेद 15, 16 तथा 19 के उपबन्ध किसी भी मंत्रिदाकारी राज्य की सरकार अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कलाये जा रहे कारोबार के सम्बन्ध में की गई सेवाओं से सम्बन्धित पारिश्रमिक तथा पेन्शन पर लागू होगे।

4. इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिये 'सरकार' शब्द के दोनों संविदा-कारी राज्यों की कोई भी राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण, भारतीय रिजवंबिंक नथा श्री लंका का सेण्ट्रम बैंक शामिल होंगे।

## अनुक्छेव 19

#### गैर-सरकारी पेन्शम तथा वार्षिकियां

- 1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी गज्य के स्नोतों से किसी भी पेन्यन (अनुच्छेव 18 में उल्लिखित पेन्यन से भिन्न) अथवा कार्षिकी पर कर केथल प्रथमोल्लिखिन सविदाकारी राज्य में लगाया जा मकता है।
- 2. 'पंन्यान' प्रान्ट का अर्थ उस नियत-कालिक भुगतान से है जो अतीत की सेवाओं के प्रतिफल के रूप में अथवा वाधिस्व-निष्पादन के दौरान णारीरिक घाट की क्षांतिपूर्ति के रूप में किया गया हो।
- 3. 'वार्षिका' णब्द का अर्थ इस राशि से है जो धन अथवा धन के मृत्य में पर्याप्त अथवा पूरे प्रतिकल के लिये अदायिया करने के किसी दायित्व के अधीन, जीवन पर्यन्त अथवा विनिविद्ध अथवा निश्चित्र समया बिध के दौरान उल्लिखित समय पर देय होगी।

## अनुष्क्षेत्र 20

#### प्राध्यापक तथा अध्यापक

अगर कोई प्राध्यापक अथवा अध्यापक किसी सोबदाकारी राज्य में, किसी अवधि के लिये जो वो वर्ष से अधिक नहीं हो, किसी विषय-विद्यालय, कालेज, विद्यालय अथवा किसी अन्य ग्रैकिणिक संस्था में अध्यापन अथवा अनुसंधान करने के प्रयोजन से अस्थायी यात्र। पर जाना है और अगर वह ऐसे दौरे के तुरक पहले दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी रहाहो, तो उसे ऐसे अध्यापन अथवा अमुसंधान के लिये प्राप्त पारिश्रमिक के संबंध में प्रथमोहिलांबात संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी।

#### अनुच्छेष 21

## विद्यार्थी और प्रशिक्ष

- 1. कोई त्रिद्धार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्ष जो एक संविद्याकारी राज्य की यात्रा से तुरला पहले उस संविद्याकारी राज्य का निवासी हो अथवा रहा हो और जो मास्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए प्रथमोल्लिखित राज्य में उपस्थित हो, अपने भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के निमित्त अदायिगयां प्राप्त करता हो, तो उस पर उस राज्य में कर नहीं लगेगा बणतें कि ऐसी अदायिगयां उस राज्य के बाहर के स्रोतों से उत्पत्त हों।
- 2. इस अनु क्छेद के पैराग्राफ (1) के अन्तर्गत न आने वाले रोजगार से प्राप्त अनु काल हिन्दों और पारिश्रमिक के संबंध में इस अनु क्छेद के पैराग्राफ (1) में उल्लिखित कोई विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्ष ऐसी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के दौरान, अन्य बातों के अलावा करों के सम्बन्ध में उसी प्रकार की छूटों, राहतों अथवा कटौतियों का हकदार होगा जिस प्रकार की छूट, राहत अथवा कटौतियां उस राज्य के निवासियों को मिलती हैं जिसका कि वह दौरा कर रहा हो!

## अनुच्छेव 22

## अन्य आय

एक मिनदाकारी राज्य के निवासी की आग की मदी पर कर, जिनका उक्तेख इस करार के पूर्वीका अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है लेकिन जिन पर उस राज्य में कर लगाया जाता हो, मिर्फ उसी राज्य में कर लगाया जाएगा।

## अनुक्छेव 23

#### पंजी

- अनुक्छेद 6 के पैराग्राफ (2) में उल्लिखित अचल मम्पत्ति
   हारा निष्ठपित पूंजी पर कर उस संविद्याकारी राज्य में लगाया जा सकेगा जिसमें वह मम्पत्ति स्थित हो।
- 2 भल संपक्ति द्वारा निक्षित पूंगी को किसी उद्यम के किसी स्थायी प्रतिष्ठान की व्यावसायिक संपक्ति का एक भाग हो उस पर उस संविदा-कारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसमें वह स्थायी प्रतिष्ठान स्थित हो।
- 3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) के उपबंधों के बावजूद अन्तर्राष्ट्रीय मालायात के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले जनवानों और वायुवानों तथा ऐसे जनवानों एवं वायुवानों के संचालन से संबंधित चल संपति पर कर उसी संविदाकारी राज्य में लगाया जाएगा जिसमें उद्यम के कारगर प्रबंध का स्थान स्थित हो।
- किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की पूंजी के अन्य सभी तस्व केवल उसी राज्य में कराध्येय होंगे।

### अनुच्छेर 24

## वीहरे कराधान का अपाकरण

- 1. दोनों संविद्याकारी राज्यों में अपने अपने यहां लागू कानून, आय और पूंजी के कराधान के मामले में लागू रहेंगे जब तक कि इस अभिसमय में इसके विपरीत कोई स्पष्ट प्रावधान नहों। जहां आय अथवा पूंजी पर दोनों संविद्याकारी राज्यों में कर लगता हो वहां इस अनुच्छेद के निम्न-लिखित पैराग्राफों के अनुमार दौहरे कराधान से राहृत प्रदान की जायगी।
- 2. भारत से बाहर किसी राज्यक्षेत्र में देय कर को भारतीय कर के प्रति जमा दिखाने की स्वीकृति देने से संबंधित भारत के कामून के उपविधों के अध्यद्यीन (जो इसके सामान्य सिद्धांतों को प्रभावित नहीं करेंगे), श्रीलंका के कानून के अंतर्गत और इस अधिसमय के अनुसार, प्रत्यक्षतः अथवा श्रीलंका के अंतर्गत स्त्रोंकों से प्राप्त लाभों, आय अथवा प्रभार्य अधिनलाभों (जिसमें किसी लाभांग के मामले में, जिन लाभों में से लाभांग अवा किया जाता है उनके संबंध में देय कर की रकम शामिल नहीं है) पर कटौती द्वारा अथवा श्रीलंका में पूंजी पर देय श्रीलंका के कर को, आय अथवा पूंजी की जिन मदों के संदर्भ में श्रीलंका के कर की संगणना की जाती है उनहीं मदों के संदर्भ में संगणित किसी भारतीय कर के प्रति जमा के रूप में स्वीकार किया जायगा।

लेकिन जमा दिखायी जाने याली ऐसी रकम (इस प्रकार की कोई जमा स्वीकार करने से पूर्व यथा संगणित) भारतीय कर से अधिक नहीं होगी जो श्रीलंका स्थित स्रोतों में प्राप्त हुई आय अथवा श्रीलंका में पूंजी के अनुरूप हो, जिससे कि जहां वह निवासी एक ऐसी कंपनी है जिसे भारत में अतिकर जमा करना है, वहां उपर्युक्त जमा प्रथमतः कंपनी द्वारा भारत में देय आयकर के संदर्भ में जमा मानी जायगी और यदि कोई रकम श्रीष रहती हो तो वह उसके द्वारा भारत में अवा किये जाने वाले अनिकर के संदर्भ में जमा मानी जायगी।

- 3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) के प्रयोजन से 'श्रीलंका का वेय कर' पवश्रंध में ऐसी कोई भी राणि णामिल होगी जो किसी वर्ष विशेष के लिए श्रीलंका के कर के रूप में देय हो लेकिन उसमें निम्नलिखित के अंतर्गत उस वर्ष विशेष के किसी भाग के लिए दी गई छूट अथवा कटौती णामिल नहीं होगी:——
  - (क) निम्सलिखिन उपबंधों में से कोई भी एक उपबंध अर्थात् 1979 का श्रीलंका अन्तर्वेशीय राजस्व अधिनियम, संख्या 28 की घारा 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 85, जहां सक

- कि वे इस अभिसमय पर हस्ताक्षर होने की तारीख को लागू थी और उक्त तारीख के बाद उनमें कोई संगोधन नहीं हुआ हो अथवा केवल ऐसा मामूली संगोधन हुआ हो जिससे उनके सामान्य स्वकृप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो ; अथवा
- (खा) 1978 के बृहत्तर कोर्लबों आर्थिक आयोग कानून सं० 4 की धारा 17 के अंतर्गन किया गया कोई करार; अथवा
- (ग) कोई भी अन्य उपबंध को कर की ऐसी छूट अथवा कटौती मंतूर करने के लिए बाद में बनाए जायं जिसके आरे में सक्षम प्राधिकारियों की यह सहमति ही कि उसका स्वरूप मूलतः थैसा ही है यदि उसमें बाद में संशोधन नहीं किया गया हो अथवा केवल ऐसा मामूली संशोधन किया गया हो जिससे उसके मामान्य स्वरूप पर कोई प्रशाब नहीं पड़ता हो।
- 4. श्रीलंका से बाहर किसी राज्य क्षेत्र में देय कर को श्रीलंका के कर के प्रति जमा मानने की म्बीकृति दैने संबंधी श्रीलंका के कानून के उपबंधों के अध्यक्षेत्र (जो इसके सामान्य सिद्धांत को प्रभावित नहीं करेंगे). भारत के कानून के अंतर्गत और इस अभिसमय के अनुसार, प्रत्यक्षत्र: अथवा कटौती द्वारा भारत में स्रोतों से प्राप्त लाभों, आय अथवा प्रभार्य अभिलाभों (किसी लाभांण के मामले में, जिन लाभों में से लाभांग अदा किया जाता है, उनके संबंध में देय कर को छोड़कर) अथवा भारत में पूंजी पर देय भारतीय कर को, आय अथवा पूंजी की जिन मदों के संदर्भ में श्री लंका के कर की संगणता की जाती है उन्हीं मदों के संदर्भ में संगणत श्रीलंका के किसी कर के प्रति जमा के रूप में स्वीकार किया जायगा।

अगर्ते कि ऐसी जमा श्रीलंका के कर से अधिक न हो (ऐसी कोई जमा स्वीकार करने से पूर्वयथा संगणित) जो भारत में स्थित स्नोतों से प्राप्त हुई आय अथवा भारत में पूंजी के अनुरूप हो।

- 5. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (4) के प्रयोजनार्थ 'देय भारतीय कर' पदबंध में निम्नलिखित के अंतर्गत उस वर्ष के लिए अथवा उसके किसी भाग के लिए मंजूर की गई कर की कोई छूट अथवा कटौती को छोड़कर ऐसी कोई भी रकम शामिल मानी जायगी जो किसी भी वर्ष के लिए भारतीय कर के रूप में देय रही हो:
  - (क) निम्नलिखित उपबंधों में से कोई भी उपबंध अर्थात्, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (4), 10(4क), 10 (15) (iv), 32क, 33क, 35ग, 54इ, 80गग, 80 जज, 80ट्य, 80 ट, अथवा
  - (ख) कोई भी अन्य उपबंध जो कर की ऐसी छूट अथया कटौती मंजूर करने के लिए बाद में बनाए जायें, जिसके बारे में सक्षम प्राधिकारियों की यह सहमति हो कि वह पर्याप्त रूप से समान स्थरूप की हैं, यदि उसमें बाद में संशोधन नहीं किया गया हो अथवा केवल ऐसा मामूली संशोधन किया गया हो जिससे उसके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो।

## अमुख्छेव 25

## सम व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर पूगरे संविदाकारी राज्य में ऐसी कोई कराधान व्यवस्था अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जायगी, जो उस कराधान से और उन संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर बैसी ही पिरिस्थितियों में लागू होती है अथवा हो सकती है। यह उपबंध अनुष्ठेद के उपबंधों के बावजूद, ऐसे व्यक्तियों पर लागू होगा जो एक अथवा बोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी नहीं हों।

- 2. एक संविदाकारी राज्य के उपम के, दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थान पर, उम दूसरे राज्य में ऐसा कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के बैंसे ही कार्य में प्रवृत्त उग्रम पर लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो। इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लिया जायगा कि एक सविदाकारी राज्य दूसरे संविदाकारी राज्य के नियामियों को वे वैयक्षित कूट, राहृत और कटौतियां देने के लिए बाध्य हैं जिल्हें वह कराधात के पयोजन के लिए नागरिक हैंसियत अथवा पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण अपने निवामियों को देता है।
- 3 जहां अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ (1) अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ (7) अथवा अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ (6) के उपबंध लागू होते हैं उसे छोड़-कर, एक सिवताकारी राज्य के िकसी उद्यम द्वारा दूसरे मंविदाकारी राज्य के िकसी निवासी को अदा िकए गये ब्याज, रायिल्टियों और अस्य वितरण, ऐसे उद्यम के कर लगने योग्य लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उन्हीं गर्तों के अधीन कटौती योग्य होंगे मानो वे प्रथमोल्लिखित राज्य के नियाती का अस िस्ये गमें होंगे। इसो पकार, एक मंविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के उद्यम की कर लगने योग्य पूंजी के निर्धारण के प्रयोजन के लिए उन्हीं शर्तों के अधीन कटौती के योग्य होंगे, मानों वे प्रथमोल्लिखित राज्य के नियाती को अनुयंधित किये गये हों।
- 4. एक मंत्रिवाकारी राज्य के उग्रमों पर, जिनकी पूंजी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रस्थक्षतः अथवा अप्रस्थक्षतः स्वामित्व अयवा नियंत्रण में है, प्रथमोक्त मंत्रिवाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जायगी जो उस कराधान और तत्संबंधी अपेक्षाओं में भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हों, जो प्रथमोक्त राज्य के अन्य वैसे ही उग्रमों पर लागू होती है अथवा हो सकती हैं।
- 5. इप अनुक्छेद के उपबंध, अनुक्छेद 2 के उपबंधों के होते हुए भी, पत्येक किस्म और प्रकार के करों पर लागृ होंगे।

## अमुच्छेब 26

#### पारस्परिक करार कार्यधिधि

- 1. जहां एक व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविवाकारी राज्यों के कार्यों के कारण उस पर कराधान लगाया जाता है अथवा लगाया जायगा जो इस अभिसमय के उपबंधों के अनुकूल नहीं है, तो वह उन राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों द्वारा उपबंधित उपबंधों के होते हुए भी, जिस संविदाकारी राज्य का निवासों है, अथवा यदि उसका मामला उस संविदाकारी राज्य के अनुक्छेद 25 के पैराग्राफ (1) के अंतर्गत आता है, जिसका वह राश्ट्रिक है, अपना मामला उसके सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। यह मामला उस कार्य की प्रथम अधिसूचना के तीन वर्षों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिये जिसके कारण कराधान लगा है और जो इस अभिसमय के उपबंधों के अनुकूल नहीं है।
- 2. यिष गक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि बह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो, वह ऐसे कराधान के निवारण की दृष्टि से जो इस अभिसमय के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी की परस्पर सहमित द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा। किये गये किसी भी करार को कार्यान्विन किया जायेगा चाहे संविदाकारी राज्यों के राष्ट्रीय कामूमों में कोई भी समय सीमा क्यों न हों।
- 3. इस अभिसमय की व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में यदि कोई किन्निइयां अथवा णंकाएं उत्पन्न हों तो संविदाकारी राज्यों के मक्षम प्राधिकारी उन्हें, पारस्परिक महमित से हल करने का प्रयास करेंगे। वे उन मामलों में दोहरे कराधान के अपाकरण के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सहते हैं जिनकी अभिसमय में व्यवस्था नहीं हैं।

4. पूर्वोक्त पैराग्राफों के अभिप्राय से सहमति के प्रयोगनार्थ संविधानारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी, एक दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी विचार-विमर्ग के माध्यम से, इस अनुव्वेश में उपवंधित पारस्वरिक करार कार्यविधि को कार्यविदान करने के लिए उपयुक्त ब्रिपक्षीय कार्यविधियां, जर्ने, पद्धतियां और कत्नीकों का विकास करेगे। इसके अनिरिक्त, एक सक्षम प्राधिकारी ऊपर उक्तिविदा ब्रिपक्षीय कार्यो और पारस्परिक करार कार्यविधियां, जर्ने पद्धतियां और नक्तीकें कि लिए समुचित एक पक्षीय कार्यविधियां, जर्ने पद्धतियां और नक्तीकें विकसित कर सकता है।

### अभुष्छेव 27

## सूचना का आधान-प्रवान

- संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूत्रता का आदान प्रदान करेंगे जो इस अभिसमय के उपबन्धों को अथवा लंबिदाकारी राज्यों के उन करों से संबंधित राष्ट्रीय कानूनों के उपबन्धों को कार्यान्धित करते के लिए आवश्यक है, जो इस अभिसमा के अस्तर्गत आते हैं, जहां पक कि उनके अधीन विद्यमान कराधान व्यवस्था विशेष रूप से ऐपे करों की जालगाजी अथवा अपवंचन को रोक्तने के तिए अभिमनस के प्रतिकृत नहीं हों। सूचना का आवात-प्रवान अन्चेबेब 1 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है किसी संविवाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई सूबना उपी प्रकार गुप्त मानी जायगी जिस प्रकार उस राज्य के राष्ट्रीय कानूनों के अन्तर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है। तथापि, यदि सूचना को सूचना भेजने वाले राज्य में मूल रूप से गुप्त समझा जाता है तो, उसे ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों को (जिनमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) प्रकट किया जायगा, जो उन करों के निर्धारण अथवा वसूनी, उनके संबंध में प्रवर्तन अथवा अभियोजन अथवा उनसे संबंधित अपीलों के निर्धारण में अंतर्गस्त हों, जो इस अभिसमय के विषय हैं। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजनों के लिए करेंगे परन्यु वे इस सूचना के सार्वजनिक सौर पर न्यायालय कार्यवाही अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे।सक्षम प्राधिकारी विचार निमर्शों के माध्यम से उन मामलों से संबंधित समुचित शतों, पद्धतियों और तकनीकों का विकास करेंगे, जिनके बारे में सूचना का ऐसा आदान-प्रदान किया जायगा, जिसमें, जहां कहीं उपयुक्त हो कर अपर्वचन के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान भी शामिल है।
- 2. किसी भी स्थिति में, पैरावाफ 1 के उपबन्धों का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा जिसमे कि किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित भार डाला जाय:—
  - (क) एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों और प्रणासनिक प्रणा से हटकर प्रणासनिक उपाय करना:
  - (क्ष) ऐसी सूचना देना जो एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों के अन्तर्गत अथवा प्रणासन की सामान्य स्थिति में प्राप्त नहीं है;
  - (ग) ऐसी सूचना देना, जिससे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औधो-गिक, वाणिज्यिक अथवा रोजगार संबंधी गुप्त भेद अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सरकार की नीति (सरकारी आदेश) के प्रतिकृत हो।

## अनुच्छेव 28

## राजनियिक अभिकर्ता और कौंसली अधिकारी

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों के अन्तर्गत अथवा विशेष करारों के श्रावधानों के अन्तर्गत इस अभिभमय से राजनयिक अथवा कौंसली अधिकारियों के राज्य कर विषयक विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

## अमुक्छेब 29

## प्रवर्तन

 इस अभिसमय का अनुसमर्थन किया जायना और अनुसमर्थन इस्ताबिओं का आदान प्रदान यथा संभव शीश्र कोलम्बों में किया जायना।

 यह अभिसमय, अनुसमर्थन दस्तावेजों का आदन प्रदान होने पर सागू होगा और इसके उपबन्ध---

- (क) श्रीलंका में ---
- (i) 1 अप्रैल, 1980 को अथवा उसके बाद मुरू होने वाले किसी कर निर्धारण वर्ष के बारे में कर निर्धारण योग्य आय के संबंध में;
- (ii) 1 अप्रैल, 1980 को अयवा उसके बाद गुरु होने वाले किसी कर निर्धारण वर्ष के संबंध में कर निर्धारण योग्य पूंजी के संबंध में ।

## (ख) मारत मे---

- (i) 1 अप्रैल, 1981 को अथवा उसके बाद शुरु होने वाले किसी कर निर्धारण वर्ष के संबंध में कर निर्धारण योग्य आय के संबंध में;
- (ii) 1 अप्रैल, 1980 को अथवा उसके बाद आरम्भ होते बाले किसी फर-ामर्धारण वर्ष के संबंध में कर शगते योग्य पूंजी के संबंध में.

लागुहोंगे।

3. आय के दोहरे कराधान से राहत पाने तथा उसके अपाकरण के लिए श्रीलंबा की सरकार तथा भारत सरकार के मध्य क्षुवा करार, जिस पर 10 मितस्बर, 1956 को हस्ताझर किये गये के, समाप्त हो जायेगा और अ.य पर उन करों के संबंध में, जिन पर इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) के उपबंधों के अनुसार बर्तमान अभिसमय लागू होता है, निष्प्रभावी हो जायेगा।

## अनुच्छेद ३०

#### सभाष्ति

यह अभिसमय अनिश्चित काल तक लागू रहेगा, परन्तु संविदाकारी राज्यों में से कोई भी राज्य इसके लागू होने की तारीख से पांच वर्षों की अविधि की समाध्य के बाद से गुरु होने वाले किसी कैनेण्डर वर्ष में 30 जून, को या उसने पहले, राजनिक माध्यम से दूसरे संविदाकारी राज्य को, समाध्य का लिखन नोटिस दे सकेगा।

ऐसी स्थिति में यह अभिसमय----

- (क) भीलंका में---
- (i) जिस कैलेण्डर वर्ष में ऐसा नोटिल दिया गया हो, उसके अगले परवर्सी कलैण्डर वर्ष में अप्रैल माम के प्रथम दिन को, अथवा उसके बाद शुरु होने वाले किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए कर निर्धारण योग्य आय के संबंध में;
- (ii) जिस कैलेण्डर वर्ष में ऐसा नोटिस वियागयाहो, उसके अगसे परवर्ती कैलेण्डर वर्ष में अप्रैल मास के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद भुद होने वाले किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए कर निर्धारण योग्य पूंजी के संबंध में

- (खा) भारत में --
- (1) जिस कैलेण्डर वर्ष में भोटिस विया गया हो, उसके अगलें परवर्ती कैलेण्डर वर्ष में अप्रैत मास के प्रयाद दिन को गुरु होने वाले कर निर्धारण वर्ष के लिए कर निर्धारण मान्य मान भी संबंध में
- (2) जिस कैनेण्डर वर्ष में ऐसा नोटिल दिशा गया हो, उसके अपले परवर्ती कैनेण्डर वर्ष में 1 अप्रैन की अवदा उतके बाद आरंस होने आले किसी कर निर्धारण वर्ष के निष् कर निर्धारण योग्य पूंजी के संबंध में निष्ध सादी हो प्रार्ता।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विश्वित् प्राक्षिकत अधोहस्ताक्षरीयों ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किये हैं।

नई दिल्ली में वर्ष 1982 के जनवरी भास के 27 दिन को सिंहल, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दो दो प्रतियों में किया गया, इसके सभी पाठ समानतः प्रामाणिक हैं। अर्थ निकाण में निजा होते को स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रमावी होगा ।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से श्रीलंका लोकताक्षिक समाजवादी गणराज्य की मरकार की ओर से

## त्रोतोकोल

आय पर तथा पूंजी पर करों के संबंध में बोहर कराधात में वाले और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए एक अभित्रमय में शामिल हो जाने पर श्रीलंका लोकतान्तिक समाजवादी गणराज्य की सप्कार तथा भारत गणराज्य की सरकार, उक्त अभित्रमय पर हस्ताक्षर करते समय निम्नितिन्तित उपवंधों पर सहमत हो गई हैं, जो उक्त अभिसमय के अभिन्न अंग बनेंगे—

- (क) अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ (ज) और (झ) में उल्लिखित अविधि का विस्तार सीमा से बहु अर्थ लिया आयेगा जो, इस अभि-समय पर हस्ताकर करने के बाद श्रीलंका द्वारा, दोहरे करा-धान से बचने के लिए किये गये किसी अभिसमय में, किसी भवन स्थल, निर्माण अथवा संयोजन परियोजना अथवा सेवार्ये प्रवान करने से संबंधित स्थायी संस्थान के संबंध में अनुच्छेद में बामिल की गई अभिक नम्बी अविधि के सपान होगी।
- (ख) अनुकड़ेद 8 के पैराग्राक (2) में निर्धारित जहाजरानी से संबंधित लाओं पर कर लगाने का आधार इस अधिसमय पर हस्ताक्षर करने के बाद श्रीलंका द्वारा दोहरे कराधान से कने के लिए किये गये किसी अधिसमय में की गई व्यवस्था से कम अनकुल महीं होगा।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत् प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं।

मई दिल्ली में बर्ष 1982 के जनवरी मास के 27 दिन को सिहम, हिल्ही और अंग्रेजी भाषाओं में दो तो प्रतियों में किया गया, इसके सबी पाठ समानत: प्रामाणिक होंगे, अर्थ निरुपण में भिन्नना होंगे की रियित में संग्रेजी पाठ प्रभावी होगा।

ह्

Κo

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से श्रीसंका लोकतःक्षिक समाजवादी गणराज्य की गरकार की बीर से

[फा०सं० 501/1/77-वि०क्तर्पर] आर०आर० खोसला, संयुक्त सचिव

#### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)
(Foreign Tax Division)
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 1983

#### INCOME-TAX

G.S.R. 342(E).—Whereas the annexed Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital has been ratified and the instruments of ratification exchanged as required by Article 29 of the said Convention;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and Section 24A of the Companies (Profits) Surfax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that nill the provisions of the said Convention shall be given effect to in the Union of India.

#### CONVENTION

#### BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND

THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA

for

the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital

CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL

The Government of the Republic of India and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, have agreed as follows:

#### ARTICLE 1

### Personal Scope

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

#### ARTICLE 2

#### Taxes Covered

- 1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of each Contracting State irrespective of the manner in which they are levied.
- 2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, as well as taxes on capital appreciation.
- 3. The existing taxes to which this Convention shall apply are :---
  - (a) In Sri Lanka:
    - (i) the income tax, including the income tax based on the turnover of enterprises licensed by the Greater Colombo Economic Commission; and

- (ii) the wealth tax; (hereinafter referred to as "Sri Lanka tax")
- (b) In India:
  - (i) the income tax including any surcharge thereon;
  - (ii) the surtax; and
- (iii) the wealth tax.

(hereinafter referred to as "Indian tax")

4. This Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any important changes which have been made in their respective taxation laws.

## ARTICLE 3

#### General Definitions

- 1. In this Convention, unless the context otherwise requires:
  - (a) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Sri Lanka or India as the context requires;
  - (b) the term "person" includes an individual a company and any other body of persons:
  - (c) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for the tax purposes;
  - (d) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
  - (e) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
  - (f) the term "national" means:
    - (i) an individual possessing the nationality of a Contracting State;
  - (ii) a legal person, partnership or an association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;
  - (g) the term "competent authority" means:
    - (i) in the case of Sri Lanka, the Commissioner-General of Inland Revenue;
    - (ii) in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue).
- 2. As regards the application of this Convention by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that State relating to the taxes which are the subject of this Convention.

## ARTICLE 4

#### Fiscal Domicile

- 1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the law of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein.
- 2. Where by reason of the provisions of paragraph (1) of this Article an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

- (a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
- (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either state, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;
- (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which be is a national;
- (d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.
- 3. Where by reason of the provisions of paragraph (1) of this Article a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

#### Permanent Establishment

- 1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.
- 2. The term "permanent establishment" shall include especially:
  - (a) a place of management;
  - (b) a branch;
  - (c) an office:
  - (d) a factory;
  - (e) a workshop;
  - (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;
  - (g) an agricultural or farming estate or plantation;
  - (h) a building site or construction or assembly project which exists for more than 183 days;
  - (i) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel, where activities of that nature continue within the country for a period or periods aggregating more than 183 days within any twelve month period.
- 3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not be include:
  - (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

dise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandibelonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information or for scientific research, being activities solely of a preparatory or auxiliary character in the trade or business of the enterprise.
- 4. A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State—other than an agent of an independent status to whom paragraph (6) of this

- Article applies—shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned State if he has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contract in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.
- 5. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an insurance enterprise of a Contracting State shall, except in regard to re-insurance, be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State it collects premiums in the territory of that other State or insures risks situated therein through a person other than an agent of independent status to whom paragraph (6) of this Article applies.
- 6. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.
- 7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

#### ARTICLE 6

#### Income from Immovable Property

- 1. Income from immovable property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.
- 2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.
- 3. The provisions of paragraph (1) of this Article shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
- 4. The provisions of paragraphs (1) and (3) of this Article shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of professional services.

## ARTICLE 7

#### **Business Profits**

- 1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to—
  - (a) that permanent establishment,
  - (b) sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment, or
  - (c) other business activities carried on in that other State of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment.

The provisions of sub-paragraphs (b) and (c) above shall not apply if the enterprise proves that such sales or activities are not attributable to the permanent establishment.

- 2. Subject to the provisions of paragraph (3) of this Article, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.
- 3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission, for specific services performed orfor management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on money lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for abnounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise by way of interest on money lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.
- 4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts nothing in paragraph (2) of this Article shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment shall, however, be such that the result will be in accordance with the principles contained in this Article.
- 5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the more purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.
- 6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.
- 7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

#### Shipping and Air Transport

- 1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place effective management of the enterprise is situated.
- 2. Notwithstanding the provisions of paragraph (1), profits derived from the operation of ships in international traffic may be taxed in the Contracting State in which such operation is carried on; but the tax so charged shall not exceed 50 per cent of the tax otherwise imposed by the internal law of that State.

Provided that for the purpose of the calculation of the tax, such profits shall be deemed to be an amount not exceeding the rates presently provided in the taxation laws of the respective States for the computation of such profits

3. The provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article shall likewise apply in respect of profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency

- of any kind by enterprises engaged in the operation of ships or aircraft in international traffic.
- 4. For the purpose of paragraph 1, interest on funds connected with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as income from the operation of such aircraft, and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest.
- 5. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated, or if there is no such home harbour, in the State of which the operator of the ship is a resident.

#### ARTICLE 9

#### Associated Enterprises

#### 1. Where:-

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions have accrued to one of the enterprises, but by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State and taxes accordingly profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

#### ARTICLE 10

#### Dividends

- 1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the dividends.
- 3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, mining shares, founders' shares or other rights not being debt-claims, participating in profits. as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation law of the State of which the company making the distribution is a resident.
- 4. The provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment attuated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

#### ARTICLE 11

#### Interest

- 1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State
- 2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.
- 3. Notwithstan ling the provisions of paragraph (2) of this Article interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if:
  - (a) the payer of the interest is the Government of that Contracting State or a local authority thereof, or
  - (b) the interest is paid to the Government of the other Contracting State or local authority thereof or any agency or instrumentality (including a financial institution) wholly owned by that other Contracting State or local authority thereof.
- 4. The term "interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the state in which the income arises.
- 5. The provisions of paragraphs (1) to (3) of this Article shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case, the provisions of Article 7 shalf apply.
- 6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.
- 7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last mentioned amount. In such case the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention

#### ARTICLE 12

#### Royalties

- I. Royalties arising in a contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalty the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.
- 3. The term royalites" as used in this Arti-le means payments of any kind received as a consideration for the use of or the right to the any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph lims, or tapes for television or broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.
- 4. The provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.
- 5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itselt, a local—authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment is situated.
- 6. Where by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties having regard to the use, right or information for which they are raid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payment shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

## ARTICLE 13 Capital gains

- 1. Gains derrived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in paragraph (2) of Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State including such gains from the alternation of such a permanent establishment alone or with the whole enterpise), may be taxed is that other State.
- 3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffice or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.
- 4. Gains from the alienation of stocks shares of a company may be taxed in the Contracting State in which they have been issued.
- 5. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs (1) to (4) of this Article, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.
- 6. The term "alienation" means the sale, exchange, transfer, or relinquishment of the property or the extinguishment of any rights therein or the compulsory acquisition hereof under any law in force in the respective Contracting Sates

#### Independent Personal Services

- 1. In ome derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless his stay in the other Contracting State is for a period or periods exceeding in the aggregate 120 days within any 12 months period, when such income may also be taxed in the other Contracting State.
- 2. The term "professional services" includes independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities, as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

#### ARTICLE 15

#### Dependent Personal Services

- 1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment is exercisable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other Contracting State
- 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first mentioned State if:
  - (a) The receipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days within any 12 month period; and
  - (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
  - (c) the remnueration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.
- 3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration in respect of an employment exercised abroad a ship or aircraft in International traffic, may be a taxed only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

#### ARTICLE 16

### Directors' Fees

Directors' fees and other similar payment, derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State

## ARTICLE 17

### Artistes and Athletes

1. Notwithstanding the provisions of Article 14 and 15, income derived by public entertainers (such as theatre, motion picture, radio or television artistes and musicians) or articles, from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which these activities are exercised:

Provided that such income shall not be taxed in the said Contracting State if the visit of the public entertainers or athletes to that State is directly or indirectly supported wholly or substantially, from the public funds of he Government of the other Contracting State.

- 2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.
- 3. For the purposes of this Article, the term "Government" includes a State Government, a political sub-division or a local authority of either Contracting State.

#### ARTICLE 18

#### Government Service

- 1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by the Government of a Contracting State to an individual in respect of services rende ed to that State or a local authority thereof shall be taxable only in that State.
- (b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who:
  - (i) is a national of that State, or
  - (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
- 2. Any pension paid by the Government of one of the Contracting States to any individual may be taxed in that Contracting State.
- 3. The provisions of Articles 15, 16 and 19 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a local authority thereof.
- 4. For the purposes of this Article, the term "Government" shall include any State Government or local authority of either Contracting State, the Reserve Bank of India and the Central Bank of Ceylon.

#### ARTICLE 19

## Non-Government Pensions and Annuities

- 1. Any pension (other than a pension referred to in Article 18) or annuity derived by a resident of a Contracting State from sources within the other Contracting State may be taxed only in the first-mentioned Contracting State.
- 2. The term "pension" means a periodic payment made in consideration of services rendered in the past or by way of compensation for injuries received in the course of performance of services.
- 3. The term "annulty" means a stated sum payable periodically at stated times, during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

#### ARTICLE 20

## Professors and Teachers

A professor or teacher who makes a temporary visit to a Contracting State for a period not exceeding two years for the purpose of teaching or conducting research at a university, college, school or other educational institution, and who is, or immediately before such visit was a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the fist-mentioned Contracting State in respect of remuneration for such teaching or research.

## ARTICLE 21

## Students and Apprentices

1 Fayments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present

in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

2. In respect to grants, scholarships and remuneration from employment not covered by paragraph (1) of this Article a student or business apprentice described in paragraph (1) of this Article shall, in addition, be entitled during such education or training to the same exemptions, reliefs or reductions in respect of taxes available to residents of the State which he is visiting.

#### ARTICLE 22

## Other Income

Items of income of a resident of a Contracting State which are not expressly mentioned in the foregoing Article of this Agreement in respect of which he is subject to tax in that State shall be taxable only in that State.

#### ARTICLE 23

## Capital

- 1. Capital represented by immovable property referred to in paragraph (2) of Article 6 may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.
- 2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment of an enterprise may be taxed in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.
- 3. Notwithstanding the provisions of paragraph (2) of this Article, ships and aircraft operated in international traffic and movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.
- 4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

### ARTICLE 24

## Elimination of Double Taxation

- 1. The laws in force in either of the Contracting States shall continue to govern the taxation of income and capital in the respective Contracting States except when express provision to the contrary is made in this Convention. When income or capital is subject to tax in both Contracting States, relief from double taxation shall be given in accordance with the following paragraphs of this Article.
- 2. Subject to the provisions of the law of India regarding the allowance as a credit against Indian tax of tax-payable in a territory outside India (which shall not affece the general principle hereof) Sri Lanka tax payable under the law of Sri Lanka and in accordance with this Convention whether directly or by deduction on profits, income or chargeable gains from sources within Sri Lanka (excluding in the case of a dividend, tax payable in respect of the profits out of which the dividend is paid) or capital in Sri Lanka shall be allowed as a credit against any Indian tax computed by reference to the same items of income or capital by referred to which the Sri Lanka tax is computed:

Provided that such credit not exceed Indian tax (as computed before allowing any such credit), which Is appropriate to the income derived from sources within Sri Lanka or to capital in Sri Lanka, so however, that where such resident is a company by which surtax is payable in India, the credit aforesald shall be allowed in the first instance against income tax payable by the company in India, and as to the balance if any against surtax payable by it in India.

- 3. For the purposes of paragraph (2) of this Article, the term "Sri Lanka tax payable" shall be deemed to include any amount which would have been payable as Sri Lanka tax for any year but for an exemption or reduction of tax granted for that year or any part thereof under:
  - (a) any of the following provisions, that is to say sections 11, 16, 17, 18 19 20 21 22 and 85 of the Sri Lanka Inland Revenue Act, No. 28 of 1979 so far as they were in force on, and have not been modified since, the date of the signature of this Convention, or have been modified only in minor respects so as not to affect their general character; or
  - (b) any agreement entered into under section 17 of the Greater Colombo Economic Commission Law No. 4 of 1978; or
  - (c) any other provisions which may subsequently be made granting an exemption or reduction of tax which is agreed by the competent authorities to be of a substantially similar character, if it has not been modified thereafter or has been modified only in minor respects so as not to affect its general character.
- 4. Subject to the provisions of the law of Sri Lanka regarding the allowance as a credit against Sri Lanka tax of tax payable in a territory outside Sri Lanka (which shall not affect the general principle hereof) Indian tax payable under the law of India and in accordance with the Convention, whether directly or by deduction, on profits, income or chargeable gains from sources within India (excluding in the case of a dividend, tax-payable in respect of the profits out of which the dividend is paid) or capital in India shall be allowed as a credit against any Sri Lanka tax computed by reference to the same items of income or capital by reference to which the Sri Lanka's tax is computed:
- Provided that such credit shall not exceed Sri Lanka tax (as computed before allowing any such credit), which is appropriate to the income derived from sources within India or to caiptal in India.
- 5. For the purpose of paragraph (4) of this Article, the term "Indian Tax payable" shall be deemed to include any amount which would have been payable as Indian tax for any year but for an exemption or reduction of tax granted for that year or any part thereof under:
  - (a) any of the following provisions, that is to say sections 10(4), 10(4A), 10(15)(iv), 32A, 33A 35C 54E, 80CC, 80HH, 80J, 80K of the Income Tax Act, 1961; or
  - (b) any other provisions which may subsequently be made granting an exemption or reduction of tax which is agreed by the competent authorities to be of a substantially similar character if it has not been modified thereafter or has been modified only in minor respects so as not to affect its general character.

#### ARTICLE 25

## Non-Discrimination

- 1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burden some than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumsances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.
- 2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that

other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

- 3. Except where the provisions of paragraph (1) of Article 9, paragraph (7) of Article 11 or paragraph (6) of Article 12, apply, interest, royaltles and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.
- 4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement conneced therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.
- 5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

#### ARTICLE 26

#### Mutual Agreement Procedure

- 1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph (1) of Article 25 to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.
- 2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.
- 3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the Interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.
- 4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. The competent authorities, through consultations, shall develop appropriate bilateral procedures, conditions, methods and techniques for the implementation of the mutual agreement procedure provided for in this Article. In addition, a competent authority may devise appropriate unilateral procedures, conditions, methods and techniques to facilitate the above-mentioned bilateral actions and the implementation of the mutual agreement procedure.

#### ARTICLE 27

#### **Exchange of Information**

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by 81 GI/83—3

the Convention, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State. However, if the information is originally regarded as secret in the transmitting State it shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes which are the subject of the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes but may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The competent authorities shall through consultation develop appropriate conditions, methods and techniques concerning the matters in respect of which such exchanges of information shall be made, including, where appropriate, exchanges of information regarding tax avoidance.

- 2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation;
  - (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
  - (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
  - (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (order public).

#### ARTICLE 28

#### Diplomatic Agents and Consular Officials

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

## ARTICLE 29

## Entry Into Force

- 1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Colombo as soon as possible.
- 2. The Convention shall enter into force upon the exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect:
  - (a) In Sri Lanka-
    - (i) in respect of income assessable for any year of assessment commencing on or after 1st April, 1980;
    - (ii) in respect of capital assessable for any year of assessment commencing on or after 1st April, 1980.
  - (b) In India-
    - (i) in respect of income assessable for any year of assessment commencing on or after 1st April, 1981;
    - (ii) in respect of capital assessable for any year of assessment commencing on or after 1st April, 1980.
- 3. The Agreement between the Government of Ceylon and the Government of India for relief from or the avoidance of double taxation of income, signed on 10th September, 1956, shall terminate and cease to have effect as respects taxes on income to which the present Convention applies in accordance with the provisions of paragraph (2) of this Article.

#### Termination

This Convention shall remain in torce indefinitely but either Contracting State may, on or before June 30 in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give to the other Contracting State, through diplomatic channels, written notice of termination.

In such event, the Convention shall cease to have effect—
(a) In Sri Lanka—

- in respect of income assessable for any year of assessment commencing on or after 1st April in the calendar year next following that in which such notice is given;
- (ii) in respect of capital assessable for any year of assessment commencing on or after 1st April in the calendar year next following that in which such notice is given.
- (b) In India--
  - (i) in respect of income assessable for the assessment year commencing on the 1st day of April in the second calendar year next following the calendar year in which the notice is given, and subsequent years;
- (ii) in respect of capital assessable for any year of assessment commencing on or after 1st April in the calendar year next following that in which such notice is given.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done in duplicate at New Delhi this 27th day of January, 1982, in the Sinhala, Hindi and Euglish languages, all texts being equally authentic. In the case of divergence of interpretation the English text shall prevail.

Sd/-(PRANAB MUKHERJEE) For the Government of The Republic of India. Sd/(RONNIE DE MAL)
For the Government of the
Democratic Socialist Republic
of Sri Lanka.

#### PROTOCOL

The Government of the Republic of India and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, having entered into a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, have agreed, at the time of signing the said Convention, on the following provisions which shall constitute an integral part thereof:

- (a) The length of the period referred to in sub-paragraphs (h) and (i) of Article 5 shall be construed as identical to any period of longer duration incorporated in the Article on Permanent Establishment in relation to a building site, construction or assembly project or the furnishing of services, in any Convention for the avoidance of double taxation entered into by Sri Lanka after the signing of this Convention.
- (b) the basis of taxing shipping profits set out in paragraph 2 of Article 8 shall not be less favourable than that provided in any Convention for the avoidance of double taxation entered into by Sri Lanka after the signing of this Convention.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done in duplicate at New Delhi this 27th day of January, 1982, in the Sinhala, Hindi and English languages, all texts being equally authentic. In the case of divergence of interpretation the English text shall prevail.

Sd/-(PRANAB MUKHERJEE) For the Government of The Republic of India.

Sd/(RONNIE DE MAL)
For the Government of the
Democratic Socialist Republic
of Sri Lanka.

[F. No. 501|1|77-FTD] R. R. KHOSLA, Jt. Secy.